अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	-: 1 :-	

न्यायालय, उपायुक्त, रॉची

एफ०एस०एस० वाद सं० 11/2016–17

64
03.12.2022

कृष्णा प्रसाद सिंह
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी,
सी०एम०ओ० कार्यालय
सदर अस्पताल परिसर, रॉची ..... परिवादी/आवेदक

बनाम

(1) प्रबंध निदेशक, अशोक एण्ड कम्पनी पान बहार लि०
(2) संतोष चौरसीया पिता त्रिवेणी राम चौरसीया
श्री साई ट्रेडर्स, प्यादा टोली, अपर बाजार।

..... विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई परिवादी कृष्णा प्रसाद सिंह, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, सी०एम०ओ० कार्यालय, सदर अस्पताल परिसर, रॉची एवं अभिहित अधिकारी – सह – अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रॉची द्वारा अग्रसारित ज्ञापांक 56 दिनांक 20.06.2016 के माध्यम से न्याय निर्णयन हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ की गई है। परिवादी/आवेदक ने समर्पित आवेदन द्वारा विपक्षी के विरूद्ध सम्मन जारी करने के उपरान्त, उन्हे धारा 47, 48 एवं 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत दण्डित करने का अनुरोध किया है। प्रस्तुत मामले मे अभिहित अधिकारी – सह – अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रॉची से पत्र सं० 55 दिनांक 20.06.2016 द्वारा न्याय निर्णयन से संबंधित अभियोजन आवेदन पर स्वीकृति प्राप्त है।

न्याय निर्णयन हेतु समर्पित आवेदन क अनुसार परिवादी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के तौर रॉची क्षेत्र हेतु नियुक्त किये गये है तथा विश्लेषण के निमित खाद्य एकत्रित करने हेतु अधिकृत है। उन्होने दिनांक 12.06.2016 को लगभग 01:30 बजे अपराह्न विपक्षी के दुकान का निरिक्षण किया तथा उनके

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	-: 2 :-	
	दुकान से 30 पाउच X 4 पैकेट "दिलरूबा पान बहार पान मसाला' का नमूना विश्लेषण हेतु मुल्य चुका कर एकत्रित किया। तदोपरान्त उसे चार भाग मे बॉट कर उसे निर्धारित तरीके से सील कर उसे अभिहित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप से लपेट कर उसमे RAN/1368 का कोड अंकित किया तथा उसमे विपक्षी का हस्ताक्षर प्राप्त कर, फार्म VI मे ज्ञापन तैयार करने के उपरान्त उसे विश्लेषण हेतु खाद्य विश्लेषक के पास भेज दिया। खाद्य विश्लेषक द्वारा जारी खाद्य विश्लेषण रिपोर्ट सं० सी०एम०:257/एफ०एस०एस०ए०/2016 दिनांक 24.05.2016 के अनुसार उपरोक्त "दिलरूबा पान बहार पान मसाला"' नमूना खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम की कंडिका 2.2.1(7) के अनुपालन नही करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की 3 (i)(zf) सह पठित धारा 23 के अनुसार मिथ्या छाप वाला खाद्य (misbranded food) है। प्रस्तुत वाद मे सम्मन जारी करने के पश्चात् विपक्षी इस न्यायालय मे उपस्थित हुए, परन्तु उनके द्वारा कारण पृच्छा नोटिस का कोई जवाब दाखिल नही किया गया। अभिलेख के आवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हे इस वाद मे कोई अभिरूचि नही है। अतः यह वाद विपक्षी के अनुपस्थिति मे एकपक्षीय सुनवाई करने के उपरान्त अभिलेख मे मौजूद साक्ष्य के आधार पर अंतिम निर्णय परित करने हेतु निर्धारित किया गया। अभिलेख के समग्र आवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी के दुकान से प्राप्त खाद्य के विश्लेषण रिपोर्ट सं० सी०एम०:257/एफ० एस०एस०ए०/2016 दिनांक 24.05.2016 से प्रमाणित होता है कि उपरोक्त "दिलरूबा पान बहार पान मसाला" नमूना खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम की कंडिका 2.2.1(7) के अनुपालन नही करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की 3 (i)(zf) सह पठित धारा 23 के अनुसार मिथ्या छाप वाला खाद्य (misbranded food) है तथा इस प्रकार विपक्षी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के धारा 52 के अन्तर्गत दोष सिद्ध होता है। मिथ्या छाप वाला खाद्य (misbranded food) की शास्ति खाद्य सुरक्षा एवं मानक	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	-: 3 :-	

अधिनियम, 2006 की धारा 52 मे प्रदान किया गया है, जिसके अन्तर्गत किसी खाद्य की प्रकृति या तत्व या क्वालिटी के बारे मे भ्रम पैदा होने की संभवना है या मिथ्या गारंटी देता है तो शास्ति का, जो दस लाख रूपए तक की हो सकेगी, देय होगा।

अतः विपक्षी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता तथा आरोपी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप प्राप्त अनुचित लाभ को ध्यान मे रखते हुए यह कार्यवाही विपक्षी सं० 1 के खिलाफ रू० 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) आर्थिक दण्ड के साथ समाप्त की जाती है।

अभिहित अधिकारी आरोपी से उक्त शास्ति की वसूली के लिए Adjudication Officer-Cum-Deputy Commissioner, Ranchi के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से डिमांड नोटिस जारी किया जाए और यदि अभियुक्त/विपक्षी डिमांड नोटिस में निर्धारित समय के भीतर जुर्माना जमा करने में विफल रहता है, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत आरोपी के खिलाफ बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत सर्टिफिकेट वाद दर्ज कर जुर्माना वसूल किया जाएगा और तब तक डिफॉल्टर का लाइसेंस (यदि कोई हो) निलंबित रहेगा। इसके अलावा अभिहित अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगे कि, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, अभियुक्त/विपक्षी के खाद्य लाइसेंस के निलंबन रहने के दौरान वे कोई भी खाद्य व्यवसाय शुरू नहीं करेंगे ।

इस आदेश की प्रति अभिहित अधिकारी–सह– अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रॉची एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, रॉची एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.03.31 15:23:30 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:24d0:3f92:988a:358d